राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 2264/2018

जेशराज पुत्र श्री जेठा राम माली, निवासी एम.एस. कॉलेज के पीछे, रानीसर बास, बीकानेर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, फसल अनुसंधान केन्द्र, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. रजिस्ट्रार फसल अनुसंधान केन्द्र, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री आर.के. मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री प्रमेन्द्र बोहरा

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>04/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 18.02.2014 के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत श्रम न्यायालय ने याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया था और निर्देश दिया था कि उसे वेतन और वरिष्ठता के साथ सेवा में जारी रखा जाए, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाले एरियर का भुगतान करने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं दिया था।

2. मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 याचिकाकर्ता को प्रारंभ में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में 01.08.1984 को अनौपचारिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालाँकि, 01.05.1995 के मौखिक आदेश द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं, अर्थात् लगभग 10 वर्ष से अधिक सेवा के बाद। औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों, अर्थात् धारा 25(एफ) जी और एच को औद्योगिक विवाद अधिनियम,

1947 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए, का पालन नहीं किया गया। इस प्रकार प्रतिवादी विभाग ने कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना या कोई मुआवजा दिए बिना याचिकाकर्ता को नौकरी से निकाल दिया।

2.2 तत्पश्चात, विद्वान श्रम न्यायालय ने 17.10.2006 को एक निर्णय दिया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति को रद्द कर दिया गया और याचिकाकर्ता को 01.05.1995 से सेवा में पुनः बहाल करने की अनुमति दी गई।

2.3 प्रतिवादी विभाग ने विद्वान श्रम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, बल्कि इसके बजाय एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2766/2008 (निदेशक, फसल अनुसंधान केन्द्र राजस्थान एवं अन्य बनाम जैसराज एवं अन्य) प्रस्तुत की। इसी बीच, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 03.02.2009 के माध्यम से, रिट याचिका संख्या 2766/2008 के निर्णय के अधीन, याचिकाकर्ता को दैनिक दर श्रमिक के रूप में ड्यूटी पर लेने की स्वीकृति जारी की। इस स्वीकृति के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.02.2009 को अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली।

2.4 इस न्यायालय ने दिनांक 27.02.2017 के आदेश के माध्यम से, उक्त रिट याचिका को निष्फल मानते हुए खारिज कर दिया। प्रतिवादी विभाग ने याचिकाकर्ता को रिक्तियों के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पद पर समायोजित कर लिया तथा 2008 के संशोधित वेतनमान नियम के तहत वेतनमान भी स्वीकृत कर दिया।

2.5 हालांकि, प्रतिवादियों ने 17.10.2006 के विद्वान श्रम न्यायालय के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को उसके नियमित स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी पद के अनुसार बकाया राशि नहीं दी, जिसमें 01.05.95 से याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति को अवैध माना गया था। इसलिए, उसे वेतन और वरिष्ठता की निरंतरता के साथ सेवा में माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने 26.08.2017 को प्रतिवादियों को मांग के लिए नोटिस दिया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए, यह याचिका।

3. जवाब में यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की दलीलें स्वीकार नहीं की जाती हैं। उसने 01-08-1984 से अनौपचारिक श्रमिक के रूप में काम नहीं किया। उसने 08-08-1994 को ही अपना काम शुरू किया। इस बात से इनकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को 10 साल पूरे होने के बाद सेवा से हटा दिया गया। वास्तव में, उसे केवल 9 महीने पूरे होने के बाद ही सेवा से हटा दिया गया।

3.1 दिनांक 05.06.2013 के पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता को बकाया वेतन भी दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 17.10.2006 के निर्णय के

अनुसार, प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को पहले ही 62,225/- रुपये की राशि दे दी है।

3.2 याचिकाकर्ता ने एक वचन पत्र (अनुलग्नक आर-3) दिया कि यदि न्यायालय का निर्णय बदल दिया जाता है या उसके पक्ष में घोषित नहीं किया जाता है, तो वह दिए गए निर्णय का अनुपालन करेगा और लाभ का भुगतान वापस कर दिया जाएगा।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

5. यहाँ जो कुछ घटित हुआ है, वह एक बहुत ही संक्षिप्त विवाद है कि क्या श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2006 को दिए गए निर्णय के प्रकाश में, जो एक बार अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है, क्या कामगार/याचिकाकर्ता को तुच्छ आधार पर इसके कार्यान्वयन के लाभ से वंचित किया जा सकता है?

6. इसका उत्तर नकारात्मक है। कारण खोजने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है।

7. यह कहने में कोई दो राय नहीं है कि केवल इसलिए कि कोई पक्षकार मुकदमे के परिणाम से व्यथित है, उस व्यक्ति को राहत न देने का कोई आधार नहीं है जिसने अथक प्रयास करके मुकदमा लड़ा है। और फिर भी, उसे उपेक्षित छोड़ दिया गया है। निर्णय अंतिम रूप ले चुका है, इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं है।

8. इसे देखते हुए, इस याचिका को विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

9. ऐसा आदेश दिया जाता है।

10. परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों को लागू सेवा नियम के अनुसार स्वीकार्य ब्याज के साथ-साथ इसके परिणामस्वरूप सभी वित्तीय लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

11. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश की वेब प्रिंट के साथ प्रतिवादियों से संपर्क करने से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

12. ब्याज उस तिथि से देय होगा जब निर्णय अंतिम रूप ले चुका था, जब रिट याचिका संख्या एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2766/2008 खारिज कर दी गई थी, जिसमें आदेश पर आपत्ति की गई थी।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।